बिहार विधान सभा में प्रस्तुत निवेदन	
प्रो० नवल किशोर यादव, माननीय स०वि०स० द्वारा प्रस्तुत निवेदन संख्या–34 / 19	**श्री दिनेश चन्द्र यादव**, माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना।
निवेदन	**उत्तर**
राज्य के 267 प्रखण्डों को सुखाग्रस्त घोषित किया गया है, लेकिन विड्वना है कि पटना जिलान्तर्गत बिहटा एवं मनेर प्रखण्डों को इससे वंचित रखा गया है। इन दोनों प्रखण्डों के ग्रामीण किसानों की वित्तीय वर्ष 2018–19 में फसलमारी गयी है, जिसके कारण विषम परिस्थितियों में जीने के लिए विवश हो गये हैं। प्रशासनिक चूक से प्रभावित किसानों ने प्रखण्ड एवं अनुमण्डल कार्यालय, दानापुर में आवेदन देकर सक्षम पदाधिकारियों से गुहार भी लगा चुके हैं, किन्तु अभीतक इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं होने से दोनों प्रखण्डों के किसान क्षुब्ध और हतास हैं। अतः मैं सरकार से बिहटा मनेर प्रखण्डों को भी सुखाग्रस्त घोषित करने हेतु संबंधित विभाग को त्वरित कार्रवाई करने के लिए निर्देश देने की मांग सदन में करता हूँ।	वर्ष 2018 में राज्य में 01 जून से 15 अक्टूबर तक औसत सामान्य वर्षापात 1078.01 मि0मि0 के विरूद्ध आलोच्य अवधि में मात्र 789.00 मि0मि0 वर्षा हो पायी, जो औसतन वर्षापात में 26.08% की कमी है। मॉनसून की वर्षा की कमी को देखते हुए कृषि विभाग द्वारा पूरे राज्य में सर्वेक्षण कराया गया। जिसमें उपज दर में 33% अथवा 33% से अधिक उत्पादकता में कमी, खेतों में दरार पड़ना एवं फसलों के मुरझाने (Wilting) को मानक निर्धारित करते हुए अपना प्रतिवेदन समर्पित किया। कृषि विभाग के प्रतिवेदन के आधार पर आपातकालीन प्रबंधन समूह (CMG) की बैठक में विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के आलोक में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त कर आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राज्य के 25 जिलों के 280 प्रखण्डों को सुखाग्रस्त घोषित किया गया है। कृषि विभाग से अबतक प्राप्त सुखा प्रभावित प्रखण्डों की सूची में पटना जिला के बिहटा एवं मनेर प्रखण्ड सम्मिलित नही है। अतएव इन प्रखण्डों को सुखाग्रस्त घोषित नहीं किया जा सका है।

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक–07 / वि0प0–निवेदन–01 / 2019 / .... / आ0प्र0 पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपि–उप सचिव, बिहार विधान परिषद सचिवालय, पटना को उनके ज्ञापांक–478(1) दिनांक–22.02.2019 के कम में कुल 05 (पॉच) प्रतियों में / संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(आमोद कुमार शरण)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–07 / वि0प0–निवेदन–01 / 2019 / .... / आ0प्र0 पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह0 / –
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–07 / वि0प0–निवेदन–01 / 2019 / 1872 / आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 1/7/19

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को इसे विभागीय बेवसाईट पर शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित।

28.6.19
सरकार के अपर सचिव

D:\2019\Kundan\विधायी निवेदन बि०वि०प० Ans for Pro Naval Kishor Yadav.docx